

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग
अधिसूचना

08 नवम्बर, 2002 ई0

सं0 1408 / कृषि / 3(5) / 2002—चूकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि क्रो, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूकि, उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है;

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, ड्राईंग सेवा नियमावली, 2000 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगी :-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1-संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ-

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2- "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना-

उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000 में जहाँ-जहाँ शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है वहाँ-वहाँ वह शब्द "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा।

3-दिनांक 9-11-2002 के उपरान्त उत्तरांचल के संशोधन-

दिनांक 9-11-2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, ड्राईंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली, 2000 में समय-समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

आज्ञा से,
(बी0पी0 पाण्डेय)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 384 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1408/Agri/3(5)/2002, dated November 08, 2002 for general information :

NOTIFICATION
November 08, 2002

No. 1408/Agri/3(5)/2002--WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Government of Uttaranchal may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as may be necessary or expedient;

AND WHEREAS, the U.P. Drawing Establishment Service Rules, 2000 is in force as rules in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000) the Governor is pleased to direct the U.P. Drawing Establishment Service Rules, 2000 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :-